राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(121)डी.एम.ई / ग्रुप–1 / 1991 जयपुर, दिनांक 16/10/17

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2017 के द्वारा डॉ. अब्दुल अलीम खान (मेरिट क्रमांक 06) को सहायक आचार्य, निश्चेतन के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में किया गया था। डॉ. खान को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी।

डॉ. अब्दुल अलीम खान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभिवृद्धि चाही। इस सम्बन्ध में विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.09.2017 के द्वारा डॉ. खान को पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में कार्यग्रहण करने अन्यथा स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने बाबत् सूचित किया गया।

डॉ. खान के स्वंय के निवेदन पर कार्यग्रहण हेतु कायग्रहण काल में वृद्धि करने के पश्चात भी उनके द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. अब्दुल अलीम खान नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है।

डॉ. अब्दुल अलीम खान के द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः डॉ. अब्दुल अलीम खान के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित नियुक्ति आदेश दिनांक 26.07.2017 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(121)एम.ई. / ग्रुप–1 / 1991 दिनांक 26.07.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
4. डा. अब्दुल अलीम खान पुत्र श्री बाबू खान, पता–नेशनल हार्डवेयर स्टोर, बस स्टेण्ड पिडावा, जिला–झालावाड़–326034 (राज.) (**रजिस्टर्ड डाक से**)।
5. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव